



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 323

9 Chaitra, 1939 (S)

Ranchi, Friday, 30th March, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

30th March, 2018

Notification No. -16/2018 – State Tax

S.O. - 28 Dated - 30th March, 2018-- In exercise of the powers conferred by section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** for the month as specified in

column (2) of the Table below shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	April, 2018	20 th May, 2018
2.	May, 2018	20 th June, 2018
3.	June, 2018	20 th July, 2018

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B:** Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of section 49 of the Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case maybe, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

3: This notification shall be deemed to be effective from 23rd March 2018.

[File.NoVaKar / GST / 03/ 2018]

By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Additional Chief Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 मार्च, 2018

अधिसूचना सं०. 16/2018- राज्य कर

एस० ओ०- 28 दिनांक - 30 मार्च, 2018-- आयुक्त ,झारखण्ड माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 61 के उप-नियम) 5 (के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम , 2017)2017 का12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है (की धारा 168द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तम्भ) 2 (में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी , प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त सारणी के स्तम्भ) 3(में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसमें पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ,अर्थात् -:

सारणी

क्र .सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख
1	2	3
1.	अप्रैल ,2018	20मई ,2018
2.	मई ,2018	20जून ,2018
3.	जून ,2018	20जुलाई ,2018

2.प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय:प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तम्भ) 3 (में यथा उल्लिखित अंतिम तारीख के अपश्चात् ,जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल करना अपेक्षित है ,

यथास्थिति ,इलैक्ट्रॉनिक नकदी खाता या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता के विकलन करते हुए अधिनियम के अधीन संदेय कर ,ब्याज ,शास्ति ,फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ।

3: यह अधिसूचना 23 मार्च, होगी ।से प्रवृत्त 2018

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव-सह-आयुक्त ।
